अनवान श्रीमती कैलाश कौर बनाम बिशन सिंह व अन्य
वाद पत्र संख्या 183/2018

23.06.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 8 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थिया/प्रतिवादिया संख्या 1/1 ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि – उक्त अनवानी वाद–पत्र में गत पेशी 16.01.2025 को प्रतिवादिया संख्या 1/1 श्रीमती नैणो बाई असालतन व वकालतन हाजिर अदालत नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रतिवादिया संख्या 1/1 विकलांग और वृद्ध अनपढ औरतजात है, प्रतिवादिया संख्या 1/1 को उक्त वाद–पत्र में उपस्थित देने व वकालतन कार्यवाही करने सम्बन्धी जानकारी ना होने के कारण वह वकालतन एवं असालतन हाजिर अदालत नही हो सकी थी। अब प्रतिवादिया संख्या 1/1 को उक्त वाद्–पत्र के बारे में उसके अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिवादिया संख्या 1/1 के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही को समाप्त करवाकर सुनवाई का अवसर चाहती है ताकि न्यायालय में सही व स्पष्ट तथ्यों की वस्तुस्थिति सामने आ सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वाद पत्र में प्रार्थिया/प्रतिवादिया संख्या 1/1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही को समाप्त किया जाकर प्रार्थिया/प्रतिवादिया संख्या 1/1 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अप्रार्थिया/वादिया द्वारा जवाब बहस मे कथन किए कि– प्रतिवादिया संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण की सुनवाई की वर्तमान स्टेज पर विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। वाद पत्र प्रस्तुत करने की दिनाक से लेकर आज दिनांक तक वादिया कैलाश कौर स्वयं या अपने अधिवक्ता की मारफत श्रीमान् न्यायालय में उपस्थित आती रही है अर्थात् वादिया कभी गैर हाजिर नहीं हुई है। उक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1/1 श्रीमती नैनों बाई न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 16.01.2025 को प्रतिवादिया संख्या 1/1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 सीपीसी उक्त प्रकरण की वर्तमान कार्यवाही की स्टेज पर तथ्यों से भिन्नता होने के कारण विधि सम्मत नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से आग्रह है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण के वर्तमान स्टेज के तथ्यों से भिन्न होने के कारण खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया अनपढ महिला है एवं प्रार्थिया के खिलाफ दिनांक 16.01.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी परन्तु प्रार्थिया द्वारा वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक पक्षीय कार्यवाही को समाप्त करने का निवेदन किया गया है। न्यायहित में प्रार्थिया का पक्ष सुना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिया/प्रतिवादिया संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी हिदायतन स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया/प्रतिवादिया संख्या 1/1 के विरूद्ध दिनांक 16.01.2025 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब वाद पत्र हेतु दिनांक 30.06.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:24:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर